न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 40/2019 — दायर दिनांक–12.03.2019

1. विधाधर पुत्र स्व० चन्द्रसिंह
2. मोहीनी देवी पुत्री स्व० चन्द्रसिंह
3. सुरजकोर उर्फ सुरजी पत्नी स्व० चन्द्रसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)।

– वादीगण

बनाम

1. घासीराम पुत्र नाथू उम्र 63 वर्ष
2. प्रभाती पुत्री नाथू उम्र 61 वर्ष
3. परमेश्वरी पुत्री नाथू उम्र 50 वर्ष (नाम हजफ)
4. रामकरण पुत्र धुड़ाराम उम्र 48 वर्ष
5. कमला देवी पुत्री धुड़ाराम उम्र 55 वर्ष
6. श्रीराम पुत्र भगवाना उम्र 42 वर्ष
7. मणी पुत्री भगवाना उम्र 50 वर्ष
8. रजवणी पुत्री भगवाना उम्र 47 वर्ष
9. बिदामी पुत्री भगवाना उम्र 45 वर्ष
10. मायाकोर पुत्री भगवाना उम्र 43 वर्ष
11. सुरेन्द्र पुत्र नानड़ उम्र 35 वर्ष
12. बिमला पुत्री नानड़ उम्र 38 वर्ष
13. मोहीनी पत्नी भागीरथ उम्र 70 वर्ष
14. महीपाल पुत्र भागीरथ उम्र 45 वर्ष
15. इन्द्राज पुत्र भागीरथ उम्र 42 वर्ष
16. महेन्द्र पुत्र स्व० चन्द्रसिंह उम्र 53 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)।
17. एस.बी.आई. बैंक शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड, स्थाई निषेधाज्ञा तथा
शुन्य व बेअसर किये जाने हकत्याग दिनांक 27.12.2011

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.07.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि [illegible] कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 595 रकबा 4 बीघा 9 बीस्वा [illegible] रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कु[illegible] रकबा 1.12 हैक्टर [illegible] है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि को आगे बाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित [illegible] वादग्रस्त भूमि की पूर्व [illegible]री धुड़ा माना,भगवाना, भागीरथ नानड पुत्र हुकमीराम हिस्सा 3/4 [illegible] टीक पुत्र बेगा हिस्सा [illegible] जाति जाट निवासी कोलसिया दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है। नकल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल दावे के साथ प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 के पूर्वज (दादा) टीकुराम पुत्र बेगाराम के कोई जायन्दा पुत्र या पुत्री संतान नहीं थी, तब स्व० टीकुराम ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता व पति स्व० चन्द्र सिंह को बतौर पुत्र गोद ले रखा था, जिसका रजिस्ट्रर्ड गोदनामा भी दिनांक 26.11.1971 को उप–पंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी के यहां पंजीबद्ध करवाया गया था। स्व० टीकुराम के जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 स्व० टीकुराम के घर में बतौर पुत्र व पौत्र–पौत्री निवास करते रहे है तथा स्व० टीकुराम की समस्त चल व अचल सम्पति के एकमात्र वारीस है तथा काबिज काश्त है। स्व० चन्द्रसिंह की मृत्यु उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है जिनका कब्जाकाश्त लगातार वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्सा पर चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 की वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 02 में है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 स्व० टीकुराम के पौत्र–पौत्री व स्व० चन्द्रसिंह के पुत्र, पुत्री है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 15 स्व० हुकमाराम के पौत्र, पौत्री है। स्व० हुकमाराम के पांच पुत्र हुए जिसमें से मानाराम लाऔलाद फौत हो गया शेष चार पुत्रों के दत्तक व जायन्दा पुत्र पुत्रियां है। वीरमाराम के एक पुत्र नाथू हुए जिसके वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि नये खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया में स्थित का राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2012 से 2035 तक की जमाबन्दी में घुड़ाराम, माना, भगवाना, भागीरथ, नानड पुत्र हुकमाराम हिस्सा 3/4 तथा टीकु पुत्र बेगा हिस्सा 1/4 के नाम से खातेदारी दर्जशुदा चली आ रही थी। संवत् 2035 से 2042 तक सैटलमेन्ट चला, नई जमाबन्दी संवत् 2043 में जारी हुई, जिसमें सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व बिना किसी कारण के स्व० टीकुराम का नाम हटाकर उसके स्थान पर नाथू पुत्र बीरमा हिस्सा 1/2 दर्जकर दिया। जबकि न तो टीकुराम का 1/2 हिस्सा था तथा ना ही स्व० टीकुराम से नाथू पुत्र बीरमा का कोई ताल्लूक था तथा स्व० टीकुराम का हिस्सा 1/4 था और स्व० टीकुराम के 1/4 हिस्सा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 काबिज काश्त है तथा न ही सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने खसरा प्रत्रक में खसरा नम्बर 1024 व 1025 में कोई ए.एस.ओ. के आदेश का कोई इन्द्राज ही किया केवल संवत 2043 की जमाबन्दी बनाते वक्त यह फाल्स इन्द्राज कर जमाबन्दी तैयार की गई है। इसी प्रकार संवत् 2043 तक जमाबन्दी सैटलमेन्ट अधिकारियों के कब्जा व अधिकार में रही है, इसके बावजूद नामान्तरण संख्या 117 तत्कालिन पटवारी हल्का सुभाषचन्द्र ने नामान्तरण खोला जिसको बिना किसी अधिकार के ग्राम पंचायत ने तस्दीक किया है जिस पर पटवारी हल्का ने अपने हस्ताक्षरो के नीचे दिनांक 31.07.1981 अंकित की है जिसका नामान्तरण का नोट जमाबन्दी संवत् 2043 में अंकित है जिसमें दिनांक 07.08.1984 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही सैटलमेन्ट के दौरान फर्जी तरीके से जानबुझकर की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 या उसके पिता स्व० नाथू पुत्र बीरमा का कोई ताल्लूक नहीं रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता नाथूराम ने तत्कालिन पटवारी हल्का सुभाषचन्द्र व सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलिभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से चल रहे स्व० टीकुराम का 1/4 हिस्सा को हडपने व 1/4 हिस्सा स्व० हुकमाराम के वारीसान का हड़पने की गरज से स्व० टीकुराम का नाम हटाकर गलत रूप से 1/2 हिस्सा नाथूराम के नाम दर्ज करवा दिया तथा 1/2 हिस्सा धुड़ा, माना, भगवाना, भागीरथ, नानड़ पिता हुकमा के दर्ज करवा दिया। इस गलत राजस्व रिकॉर्ड से न तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता नाथू को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है तथा न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त होते है और न ही सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्व से चल रहे नाम को हटाकर किसी की खातेदारी समाप्त करने के [illegible]दारी देने के अधिकार ही थे। सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना सक्षम न्याया[illegible]देश के उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज कर दिया [illegible] अधिकार नहीं था। सैटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज हो जाने के [illegible] संवत 2035 से आगे का सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज होता गया और इस [illegible] नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने पहले स्व० नाथू का नामान्तरण संख्या [illegible] अपने नाम करवाया तथा इसके पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 व उनकी माता हरप्यारी के फौत होने पर उक्त गलत दर्ज 1/2 हिस्सा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

दिनांक 27.12.2011 को एक हकत्याग करवाकर सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा लिया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई ताल्लूक नहीं है और न ही कोई कब्जाकाश्त ही प्रतिवादी संख्या 1 का है तथा ना ही कभी कोई कब्जाकाश्त स्व० नाथू पुत्र बीरमा का रहा है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 के हक अधिकारो के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर है। हालांकि इस गलत राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 के कब्जाकाश्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 के वैध अधिकारो पर कभी भी कुठाराघात हो सकता है। ऐसी हालत में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया में स्थित में 1/4 हिस्सा यानिकि 0.28 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 को घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा 3/4 हिस्सा यानिकि 0.84 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 को तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 को तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 को तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरुस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 16 का हिस्सा 1/4 यानिकि 0.28 हैक्टर है जिसको वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 शांतिपूर्वक काश्त करते है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता स्व० चन्द्रसिंह को ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति होने के कारण कानून की कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण स्व० चन्द्रसिंह ने स्व० टीकुराम के स्वर्गवास पर अपने नाम गोदनामा के आधार पर कोई नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही नहीं करें। स्व० टीकुराम की खातेदारी काश्त की भूमि पर कब्जाकाश्त था और चलता रहा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 ने भी कभी राजस्व रिकॉर्ड का ध्यान नहीं दिया। अब अन्य जमीनो के मुकदमे प्रतिवादीगण द्वारा करने पर वादीगण ने भी अपनी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सैटलमेन्ट में ही गलत हो गया है, सम्पूर्ण रिकॉर्ड लेने पर प्रतिवादी संख्या 1 से इस बारे में दिनांक 20.12.2018 को बातचीत की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि राजस्व रिकॉर्ड मेरे नाम अकेले के दर्ज हो गया है, अब मैं इस गलत राजस्व रिकॉर्ड की भूमि को लठ के बल पर कब्जा कर आपको बेदखल कर दूंगा या मौका मिलते ही भूमाफिया गिरोह को विक्रय कर दूंगा, मैंने वादग्रस्त भूमि का एक दावा मु० नं0 92/14 श्रीमान् न्यायालय में उनवानी घासीराम बनाम नानड़ वगैरह भी कर रखा है जिसमें आप वादीगण ने पहले ही आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया है उसे भी मैं खारीज करवा दूंगा, इतने दिन तक वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 कहता रहा कि मैंने दावा किया है आप पक्षकार बनते ही उक्त भूमि आपके नाम करवा दूंगा किन्तु दिनांक 20.12.2018 को धमकी देने लगा और राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से साफ इंकार हो गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को न तो वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार है और न ही प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा किये गये हकत्याग दिनांक 27.12.2011 से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त होते है, वैसे भी कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व सम्पति अन्तरण अधिनियम में हकत्याग–पत्र जैसे दस्तावेज से सम्पति हस्तानान्तरण सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं हैय इसलिये कानूनन हकत्याग–पत्र शुरू से शुन्य व बेअसर है. क्योंकि वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा यानिकि 0.28 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 की पैत्रिक भूमि है जो स्व० टीकुराम द्वारा छोड़ी गई भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड सैटलमेन्ट के दौरान गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता नाबू के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई है। इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.28 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा शेष हिस्सा 3/4 यानिकि 0.84 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 को तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 को तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 को तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किये गये हकत्याग–पत्र दिनांक 27.12.2011 व गलत रूप से दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के राजस्व रिकॉर्ड को शुरू से ही शुन्य व बेअसर करार देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत् इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व शुरू से शुन्य करार दिये जाने हकत्याग का पेश करना आवश्यक हुआ।

वाके ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हेक्टर स्थित है, जिसमेवादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 का हिस्सा 1/4 यानिकि 0.28 हैक्टर है तथा शेष हिस्सा 3/4 यानिकि 0.84 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 4. 5 का तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 का तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 का तथा 1/4 हिस्सा यानिकि 0.21 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 का है तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज होने का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है और भु–माफिया गिरोह से मिली भगत कर खुर्द–बुर्द कर देना चाहते है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 की पैत्रिक भूमि पर भु–माफिया लोगो का कब्जा करवाकर उन्हे बेदखल करना चाहते है और उनके अधिकारो से वंचित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने ऐलानियां धमकी दी कि आपकी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, हमने पहले भी पटवारी हल्का से मिलकर आपकी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम दर्ज करवा लिया और उस पर मुकदमा भी कर रखा है, हमारी प्रशासन मेंऊपर तक पहुंच है और अब हम आपकी खातेदारी कब्जेकास्त की सम्पर्ण भूमि पर लठ के बल पर कब्जा कर आपको बेदखल कर देंगे, अब तक तो आपने इस भूमि को काश्त कर लिया, अबकी बार हम ही इसे काश्त करेंगे तथा भूमाफिया गिरोह के सदस्यो को विक्रय कर लठ के बल पर उनका कब्जा करवाकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 को अपारक्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असम्भव होगा। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 को व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में फंसना होगा। वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 को अपने खातेदारी, हक अधिकार की पैत्रिक भूमि से वंचित होना पड़ेगा, जो वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात होगा। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 अपनी पैत्रिक भूमि से वंचित हो जावेगें। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है कि वादग्रस्त भूमि को न तो स्वंय किसी को विक्रय या दान करें अथवा न अपने अधिनस्त नौकर–चाकर, प्रतिनिधि, संबंधी आदि से विक्रय या दान करवाये तथा वादीगण के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले और न ही वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर भूमि की किस्स परिवर्तित करें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें अथवा न अपने अधिनस्त किसी नौकर–चाकर, प्रतिनिधि, संबंधी आदि से करायें। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखे। ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

बिनाय दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण ने जब वादीगण की भूमि का गलत राजस्व रिकॉर्ड आधार पर हकत्याग–पत्र दिनांक 27.12.2011 को बनवाने व दिनांक 20.12.2018 को इस आशय की धमकी देने कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर लठ के बल पर कब्जाकर बेदखल कर दूंगा व भूमाफिया गिरोह को विक्रय करने की धमकी देने तथा रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से साफ इंकार होने के रोज व राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के रोज बमुकाम कोलसिया पैदा हुआ। अदालतबाला को हक समायत हासिल है।

प्रतिवादी संख्या 17 बैंक है जिसके यहां से प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण प्राप्त कर रखा है जिसको चुकाने का दायित्व भी प्रतिवादी संख्या 1 का है। प्रतिवादी [illegible] ने बिना किसी कब्जाकाश्त की जांच किये बिना किसी आधार के गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर [illegible] रूप से ऋण दिया है जिसको प्रतिवादी संख्या 17 प्रतिवादी संख्या 1 से अपने स्तर पर वसुल [illegible] सकता है जिसके लिए वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 जिम्मेदार नहीं है। प्रतिवादी [illegible] आवश्यक पक्षकार है इसलिये उसे बतौर प्रतिवादी वाद में बनाया गया है ताकि [illegible] हक अधिकार के लिए सजग रहकर अपना ऋण प्रतिवादी संख्या 1 से वसुल कर सकें। वादग्रस्त भूमि से न तो प्रतिवादी संख्या 1 का कोई ताल्लूक है और न ही प्रतिवादी संख्या 17 का कोई ताल्लूक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक [illegible]

दावा बाबत् इस्तकरारहक दुरूस्ती रिकॉर्ड, स्थाई निषेधाज्ञा, शुन्य व बेअसर किये जाने हकत्याग का होने से उस पर निश्चित यह कि दावा अन्दर मियाद पेश है तथा विवादित भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार ग्राम कोलसिया में अवस्थित है, इसलिये न्यायालय श्रीमान् को दावा सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

इस्तदुआ वादीगण यह है कि दावा हाजा की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जायें :– **वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 16 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.28 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा शेष 3/4 हिस्सा यानिकि 0.84 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।**

प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हकत्याग–पत्र दिनांक 27.12.2011 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 16 के वैध अधिकारो के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर करार घोषित फरमाया जावें एंव इस आशय की तहरीर उप–पंजीयक व तहसीलदार, नवलगढ़ को भिजवाई जावें।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया में स्थित भूमि को न तो स्वंय किसी को विक्रय या दान करें अथवा न अपने अधिनस्त नौकर–चाकर, प्रतिनिधि, संबंधी आदि से विक्रय या दान करवाये तथा वादीगण के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले और न ही वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर भूमि की किस्म परिवर्तित करें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें अथवा न अपने अधिनस्त किसी नौकर–चाकर, प्रतिनिधि, संबंधी आदि से करावें। वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 17 की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी विधाधर का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदीयां, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खतौनी ,नकल नामांतकरण सं0 117 नकल हकत्याग पत्र दिनांक 27.12.2011, नकल गोदनामा दिनांक 26.11.1971 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर निर्णय तनकीवार किये जाना आवश्यक नही है। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त कर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 16 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.28 हैक्टर का, तथा शेष 3/4 हिस्सा यानिकि 0.84 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हकत्याग–पत्र दिनांक 27.12.2011 को शुन्य घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है कि वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया का वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 16 को हिस्सा 1/4 का तथा शेष 3/4 हिस्सा में से प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 को हिस्सा 1/4 का तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 का तथा प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हकत्याग–पत्र दिनांक 27.12.2011 को शुन्य घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 40/2019 (विधाधर बनाम घासीराम आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर वाके ग्राम कोलसिया का वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 16 को हिस्सा 1/4 का तथा शेष 3/4 हिस्सा में से प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 को हिस्सा 1/4 का तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 का तथा प्रतिवादीगण संख्या 11, 12 को हिस्सा 1/4 यानिकि 0.21 हैक्टर का तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हकत्याग–पत्र दिनांक 27.12.2011 को शुन्य घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर ए एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बावत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested